रजिस्ट्री सं० -(डीडी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 82] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 9, 1974/चैत्र 19, 1896
No. 82] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 9, 1974/CHAITRA 19, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 9th April 1974

SUBJECT.—*Import Policy for Registered Exporters for the period April 1974—March 1975—Errata.*

No. 50-ITC(PN)/74.—Attention is invited to the Import Policy for Registered Exporters as contained in the Import Trade Control Policy (Red Book — Volume II) for the period April 1974—March 1975 published under the Ministry of Commerce Public Notice No. 44-ITC(PN)/74 dated the 2nd April, 1974.

2. The following corrections may be made at the appropriate places indicated below :—

Page No. of the Red Book (Vol. II)	Reference	Correction
1	2	3
1.	Section I—Part A Para 10	The existing para 10 may be amended to read as under :— "10. Priority treatment, preferred sources of supply and facilities for expansion to exporting units other than those in priority sector.— In the case of industries other than those in the priority list, both in the large and small scale sectors, and the

1	2	3
		end-products of which are covered by the import policy for registered exporters, the units which contribute to overseas sales, *i.e.* which exported 20 per cent or more of their production during the calendar year 1973 or financial year 1973-74 will be treated during April 1974—March 1975 as if they are included in the list of priority industries. Such units will also qualify for the same treatment in regard to the sources of supply for their requirements of raw materials, components and spares, and receive preference in the matter of facilities for further expansion of their export production. These facilities will not be available to the units engaged in the production of (i) stainless steel products and (ii) nylon fabrics, cellulosic fabrics and blended fabrics from mixture of cotton/cellulosic fibre or yarn/nylon/polyester fibres or yarn. If a unit shows an export performance of 10 %or more of its production but less than 20 % it will be eligible only for preferred sources of financing and not for priority treatment."
257	Annexure XXX S. No. 14(e)	The word "foreigners" may be read as 'non-residents.'

S. G. BOSE MULLICK,
Chief Controller of Imports & Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 1974

विषय.—अप्रैल, 1974—मार्च 1975, अवधि के लिए पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति—अशुद्धि-पत्र ।

सं० 50 आई० टी० सी० (पी० एन०)/74—वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं० 44-आई टी सी (पी एन)/74 दिनांक 2 अप्रैल, 1974 के अन्तर्गत अप्रैल, 1974—मार्च 1975 अवधि के लिए प्रकाशित की गई आयात व्यापार नियंत्रण नीति (रेड बुक वा० 2) में पंजीकृत निर्यातकों के लिए निहित आयात नीति की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

2. नीचे निर्दिष्ट उपयुक्त स्थानों पर निम्नलिखित शुद्धियां की जाए :—

रेड बुक (वा० 2) की पृष्ठ सं०	संदर्भ	शुद्धि
1	2	3
1.	खण्ड—1 भाग ए पैरा 10	विद्यमान पैरा 10 निम्नलिखित अनुसार पढ़ने के लिए संशोधित किया जाए :— "10. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र से भिन्न निर्यात करने वाले एककों के विस्तार के लिए प्राथमिक व्यवहार, संभरण के अधिमानित साधन और

1	2	3
		बृहत पैमाना क्षेत्र और लघु पैमाना क्षेत्र दोनों में प्राथमिक सूची में आने वाले उद्योगों से भिन्न उद्योगों और जिन उद्योगों के अन्तिम उत्पाद पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति में सम्मिलित है उनके मामले में जो एकक विदेशी बिक्री में सहयोग देते हैं अर्थात् जिन्होंने पंचांग वर्ष 1973 या वित्तीय वर्ष 1973–74 के दौरान अपने उत्पादन का 20 प्रतिशत या अधिक का निर्यात किया है उन्हें अप्रल, 1974–मार्च, 1975 के दौरान प्राथमिक उद्योगों की सूची में सम्मिलित किया गया ही समझा जाएगा। ऐसे एकक कच्चे माल, संघटकों और फालतू पुर्जों की अपनी मांग के लिए संभरण के साधनों के सम्बन्ध में भी उसी बर्ताव के लिए पात्र माने जाएंगे। और अपने निर्यात उत्पादन को और बढ़ाने के लिए सुविधाओं के मामलों में अधिमानता प्राप्त करेंगे। ये सुविधाएं (1) जंग विरोधी इस्पात उत्पादों और (2) कपास/सेल्युलोजीय रेशा या सूत/नाइलोन/पोलिस्टर रेशा या सूत के मिश्रण से नाईलोन कपड़ों, सेल्युलोजीय कपड़ों और संमिश्रित कपड़ों के उत्पादन में लगे हुए एककों को उपलब्ध नहीं होगी। यदि एक एकक अपने उत्पादन का 10 प्रतिशत या अधिक परन्तु 20 प्रतिशत से कम निर्यात निष्पादन दिखाएगा तो वह केवल वित्तदान के अधिमानित साधनों के लिए पात्र होगा प्राथमिक बर्ताव के लिए नहीं।
257	अनुबन्ध XXX क्रम सं० 14 (ई)	शब्द "विदेशियों" को "गैर–निवासी" पढ़ा जाए।

एम० जी० बोस मल्लिक,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

BY MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW